न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 9/2015 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1 अमर सिंह पुत्र बुद्ध सिंह जाति राजपूत निवासी गिरूडी तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

:–––––––––अपीलांट

बनाम

1 रितेश पुत्र कैलाश जाति राजपूत नाबालिग निवासी गिरूडी जरिये सरपरस्त माता मीना देवी पत्नि कैलाश जाति राजपूत निवासी ग्राम गिरूडी तहसील बानसूर जिला अलवर

:––––असल रेस्पो0

2 कैलाश सिंह पुत्र अमर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गिरूडी तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

3 राज0 सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, बानसूर

:–––––––––– तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी, बानसूर
दिनांक 23.12.2014

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री अनिल गुप्ता

2. वकील रेस्पो0 सं0 1 :– श्री ब्रहमप्रकाश यादव

निर्णय दिनांक 8.11.2021

---

1 यह अपील विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी, बानसूर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 16/2010 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 23.12.2014 , जिसके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

गया है, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत पेश की गई है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी प्रार्थी ने तहत अदालत में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188 व 53 के तहत वाद पत्र पेश किया और उस वाद पत्र के साथ धारा 212 आर0 टी0 एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 614 रकबा 8 एयर, 1098 रकबा 85 एयर, 1100 रकबा 64 एयर, 1103 रकबा 34 एयर, 1104 रकबा 29 एयर, 1106 रकबा 4 एयर, 1111 रकबा 1.06 कुल किता 7 रकबा 3.30 हेक्टेयर तथा आराजी हाल खसरा नम्बर 1107 रकबा 0.01 हेक्टेयर, 1108 रकबा 1.20 हेक्टेयर वाके ग्राम गिरूडी तहसील बानसूर वादी प्रार्थी की संयुक्त पैत्रिक है । यह आराजी वादी को उसके पडदादा बुद्धसिंह से विरासत में प्राप्त हुई है । जिस पर प्रार्थी वादी जरिये माता खुद मीना देवी के द्वारा काश्त करता चला आ रहा है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादी प्रार्थी का उक्त आराजी में जन्म से ही अधिकार है । परन्तु उक्त आराजी प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज है । उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण का नाम दर्ज होने से वे भूमि को खुर्दबुर्द करने पर उतारू है । अतः उन्हें पाबन्द किया जावे । तहत अदालत ने उक्त प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 23.12.2014 द्वारा स्वीकार कियाहै, जिस निर्णय से व्यथित होकर प्रतिवादी अप्रार्थी अमरसिंह ने यह अपील पेश की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजी से वादी रेस्पो0 का कोई सम्बन्ध नहीं है । विवादित आराजी बुद्ध सिंह की खातेदारी की थी । उसके देहान्त के बाद उसकी विरासत उसके लडकों प्रतिवादी नम्बर 01 व प्रतिवादी नम्बर 3 ला0 5 व बुद्धसिंह की बेवाह कमला के नाम बराबर 1/5 हिस्से की स्वीकार हुई । कमला के देहान्त के बाद उसकी विरासत का इन्तकाल नम्बर 53 उसकी लडकियों अमर बाई कंवर, कृष्ण कंवर, सरोज कंवर, उम्मेद कंवर, सुनीता कंवर तथा लडकों प्रतिवादी नम्बर 01 व प्रतिवादीगण संख्या 3 ला0 5 के हिस्से बराबर बरावर 1/9 दिनांक 6.1.2009 को स्वीकार हुआ । आराजी खसरा नम्बर 1098 में प्रतिवादी द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 01 के हक में त्याग कर दिया, जिसका इंतकाल नम्बर 111 दिनांक 23.9.2009 को प्रतिवादी नम्बर 01 के हक में स्वीकृत हो गया । आराजी खसरा नम्बर 1107 व 1108 प्रतिवादी की स्वअर्जित आराजी है । वादी रेस्पो0 का विवादित आराजी से कोई लेना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

देना नहीं है । वादी रेस्पो0 ने तहत अदालत में विभाजन का भी वाद पेश किया है । परन्तु उसने सभी सह खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है । ना ही उसने यह बताया है कि विवादित आराजी में उसका कितना हिस्सा है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम व काश्तकारी अधिनियम के अनुसार दादालाई की सम्पत्ति में पिता के जीवित रहते हुये पौत्र को जन्म से हिस्सा पाने का अधिकार नहीं होता है । मौजूदा प्रकरण में भी वादी रेस्पो0 द्वारा अपने पिता कैलाश को प्रतिवादी नम्बर 02 बनाया गया । इस प्रकार पिता के जीवित रहते पुत्र को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है । विवादित भूमि पैत्रिक नहीं है, बल्कि हमारी स्वअर्जित खरीदशुदा है, जिस पर हमने बिजली कनेक्शन लेने का आवेदन किया हुआ है । उक्त कनेक्शन को रूकवाने के लिये ही वादी रेस्पो0 ने अस्थाई निषेंधाज्ञा प्राप्त की है । वादी रेस्पो0 का उक्त भूमि से कोई लेना देना नहीं है । वादी रेस्पो0 द्वारा तहत अदालत में जो नजीरें पेश की गई हे, वे सभी मूर्ति के सम्बन्ध में थी, जिसमें नाबालिगों के अधिकार सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में आदेश पारित किये गये थे । इसलिये उक्त नजीरें मौजूदा प्रकरण पर लागू नहीं होती है । हम रेकार्डेड खातेदार है । कानूनन हमारे खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती, परन्तु तहत अदालत ने गौर नहीं किया और गलत तौर पर हमारे खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 01 ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विवादित आराजी अपीलांट की स्वअर्जित नहीं है, बल्कि पैत्रिक आराजी है । उक्त आराजी मेरे पडदादा बुद्धसिंह की थी । परन्तु कागजात माल में उक्त आराजी अपीलांट के नाम दर्ज कर दी गई । जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मेरा भी उक्त आराजी में जन्म से ही अधिकार है । अस्थाई निषेधाज्ञा का मुख्य प्रयोजन दौराने विचारण वाद आराजी को किसी प्रकार की हानि होने से बचाना है और पक्षकारों के बीच अनावश्यक विवाद को रोकना है । ये लोग गलत इन्द्राज की आड में विवादित भूमि को खुर्दबुर्द करने पर उतारू है । इसलिये इनको सही तौर पर तहत अदालत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । विवादित आराजी पर पक्षकारों के टाईटल का निर्णय मूल वाद में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

होना है । हम यहां अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण का निस्तारण कर रहे हैं । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी अनेकों नजीरों में प्रतिपादित किया है कि अगर विवाद परिवार के सदस्यों के बीच है तो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर देनी चाहिये । इसके अलावा माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी अनेकों नजीरों में यह भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि आराजी का दुर्व्ययन न हो, उसे हानि पहुंचाने की आशंका हो, पक्षकारों के बीच अनावश्यक विवाद उत्पन्न होने का अंदेशा हो तो वहां पर निवारक अनुतोष के रूप में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी चाहिये । अस्थाई निषेधाज्ञा का मुख्य प्रयोजन दौराने विचारण वाद विवादित आराजी की रक्षा करना भी होता है । मौजूदा विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के बीच हैं । विवादित भूमि अपीलांट के नाम दर्ज है, जिसका फायदा उठाकर वह आराजी को खुर्दबुर्द कर सकता है । अगर उसने ऐसा किया तो वादी रेस्पो0 के वाद पत्र की मन्शा ही समाप्त हो जावेगी और पक्षकारों के बीच अनावश्यक विवाद बढने की आशंक प्रबल हो जावेगी । वादी असल रेस्पो0 नाबालिग है । उसके अधिकारों की रक्षार्थ भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना विधिसम्मत है । विद्वान तहत अदालत ने सही तौर पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है, जिसमें हम उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत का निर्णय दिनांक 23.12.2014 यथावत रखा जाता है ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर